न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2022

प्रार्थीगण :–

1. गोपाराम पुत्र श्री भीयाराम

2. महेन्द्र सारण पुत्र स्व. श्री बाबूराम उर्फ बाबूलाल

3. परसाराम पुत्र स्व. श्री बाबूराम उर्फ बाबूलाल

4. मनीष सारण पुत्र स्व. श्री बाबूराम उर्फ बाबूलाल

5. श्रीमती सुन्दरी पत्नी श्री बाबूराम उर्फ बाबूलाल जातियान् जाट, निवासीगण ग्राम धिनाणा की ढाणी, पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

अप्रार्थीगण :–

1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
01. प्रार्थीगण की और से श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता
02. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश दिनांक 08/02/2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 524 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 525 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 531 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वां, खसरा संख्या 544 रकबा 13 बीघा 14. बिस्वां, खसरा संख्या 569/1 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वां, खसरा संख्या 569/2 रकया 14 बीघा 03 बिस्यो, खसरा संख्या 591 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वां, कुल खसरा 07 कुल रकबा 103 बीघा 09 बिस्वां, वाके ग्राम धिनाणा की ढाणी, पटवार क्षेत्र पाल, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 544, 531 व 591 की भूमि के राजस्व नक्शे में कटाणी रास्ता गुजर रहा है, किन्तु मौके पर उक्त भूमि में वह रास्ता विद्यमान नहीं है. जबकि उक्त खसरान् की भूमि में से जो रास्ता गुजर रहा है, जो रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज कटाणी रास्ते से भिन्न स्थान पर गुजर रहा है। सुविधा की दृष्टि से इस प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो नजरी नक्शा इस बाद पत्र का अभिन्न अंग माना व समझा जावेगा। उक्त नजरी नक्शे में हरे रंग दर्शाया हुआ रास्ता मौके पर विद्यमान है. जो आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में आ रहा है, रास्ते हेतु जो भूमि उपयोग में ली जा रही है, यह भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा लाल रंग से दर्शाया हुआ रास्ता राजस्व नक्शे में कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज है, किन्तु उक्त रास्ता आवागमन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, उक्त रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते की भूनि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि में से जो रास्ते गुजर रहे है, जो राजस्व नक्शे में दर्ज है, जिन्हे वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग दर्शाया हुआ है, उक्त रास्ते के खसरा संख्या 532 व 545 दर्ज है। खसरा संख्या 532 रास्ते की भूमि, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से गुजर रही है, जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया हुआ है, का रकबा 140 गुणा 03 गट्टा यानि 420 वर्ग गट्टा यानि 01 बीघा 01 बिस्वां भूमि रास्ते के रूप में दर्ज है तथा खसरा संख्या 545 रास्ते की भूमि, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से गुजर रही है. जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया हुआ है, का रकबा 80 गुणा 03 गट्टा यानि 240 वर्ग गट्टा यानि 12 बिस्वां भूमि रास्ते के रूप में दर्ज है। इस प्रकार खसरा संख्या 532 व 545 की कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्यां भूमि जो नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित है उक्त 01 बीघा 13 बिस्वां भूमि राजस्व नक्शे में कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है, किन्तु

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है. इस प्रकार उक्त भूमि को प्रार्थीगण के खातेदारी के रूप में दर्ज कर रेकर्ड में दुरूस्ती की जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण की भूमि में से जो रास्ते गुजर रहे है, जो राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है, जिन्हे वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में हरें रंग दर्शाया हुआ है, जिस भूमि को आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है, किन्तु रास्ते रेकर्ड में उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की दर्ज चली आ रही है, प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 591 में से बनाप 130 गुणा 04 गट्टा यानि 520 वर्गगज यानि 01 बीघा 06 बिस्वां भूमि रास्ते हेतु मौके पर उपयोग व उपभोग में ली जा रही है तथा खसरा संख्या 531 में से 50 गुणा 04 गट्टा यानि 200 वर्ग गट्टा यानि 10 बिस्वां भूमि रास्ते हेतु मौके पर उपयोग व उपभोग में ली जा रही है, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार खसरा संख्या 591 में से 01 बीघा 06 बिस्वां भूमि तथा खसरा संख्या 531 में से 10 बिस्वां भूमि को राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी के स्थान पर गैर मुमकिन कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाना कानूनन आवश्यक है। जिस बाबत् यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में पेश है। खसरा संख्या 544 जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, में से 01 बीघा 01 बिस्वां भूमि जो राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 532 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा खेती करते आ रहे है, जिसे राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि दर्ज की जाना कानूनन आवश्यक है। इस प्रकार खसरा संख्या 591 जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, में से 12 बिस्वां भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में खसरा संख्या 545 के रूप में दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, जिसे राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज की जाना न्याय संगत है। इस प्रकार दोनो खसरान् की कुल 01 बीघा 13 बिस्वां भूमि जो राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है. जिसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया हुआ है, को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर गैर मुमकिन रास्ते के स्थान पर प्रार्थीगण के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 591 में से रास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि का रकबा 01 बीघा 06 बिस्वां व एक अन्य रास्ता जिसक रकबा 10 बिस्वां है, जो इसी खसरे की भूमि में गुजर रहा है। इस प्रकार खसरा संख्या 591 की कुल रकबा 01 बीघा 16 विस्वां भूमि रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग में ली आ रही है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया हुआ है, उक्त रास्ते हेतू उपयोग में ली जा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज है, जिसे दुरूस्त कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्याय संगत है। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त वर्णित अनुसार दुरूस्ती करवाना चाहते है, जो भूमि मौके पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही है, वह भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की दर्ज है, जो भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, उस पर प्रार्थीगण आज दिन काबिज काश्त काश्त चले आ रहे है, जिसे सलग्न नजरी नक्शे में हरे व लाल रंग से दर्शाया हुआ है। इस प्रकार नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शित भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में तथा लाल रंग से दर्शित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते से प्रार्थीगण की खातेदारी के रूप में दुरूस्त किये जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम धिनाणा की ढाणी पाल, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत पाल है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार वाद लाने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के अनुसार दो माह विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु प्रार्थीगण के द्वारा इस सम्बंध में ग्राम पंचायत से कई बार निवेदन किया जा चुका है तथा ग्राम पंचायत को उक्त दुरूस्ती बाबत पूर्ण रूप से सहमत है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि रकबा 01 बीघा 13 बिस्वां को गैर मुमकिन रास्ते से प्रार्थीगण की खातेदारी के रूप में तथा नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शित भूमि रकबा 01 बीघा 16 बिस्वां को प्रार्थीगण की खातेदारी से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर अमल दरामदगी किये जाने तथा राजस्व नक्शे में भी इसी अनुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित फरमावे। अन्य उचित आदेश जो कानूनन एवं न्याय संगत हो पारित फरमाव।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये सामान्य डाक से जारी किये गए।

अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत पाल कि ओर से जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 02 स्वीकार है। ग्राम धिनाणा कि ढाणी के खसरा संख्या 531,544,व 591 खातेदारी खसरा पर मौके पर रास्ता चल रहा है जिनके खातेदार गोपाराम वगैरा है। पेरा संख्या 03 स्वीकार है। ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 532/1 व 545 किस्म गै.मु. रास्ता जो वर्तमान में ग्राम के खाते में दर्ज है परन्तु मौके पर रास्ता मोजुद नहीं है उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर 531, 544 व 591 के खातेदारों का कब्जा काश्त है। तथा मौके पर रास्ता 531,544 व 591 की भूमि में स्थित है जो चालू हालात में है।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार कुडी भगतासनी जोधपुर कि ओर से तथ्यात्मक प्रत्युत्तर बिन्दुवार निम्नानुसार है :–बिन्दु 1. यह है कि ग्राम धिनाना की ढाणी जमाबंदी संवत 2061–2064 में खाता स. 136 अनुसार खसरा नं. 524 रकबा 12–10 बीघा, खसरा नं. 525 रकबा 12–16 बीघा, खसरा नं. 531 रकबा 5–05 बीघा, खसरा नं. 544 रकबा 08–01–09 बीघा एवं खसरा नं. 591 रकबा 18–19 बीघा प्रार्थीगणों के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी व संलग्न की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

...क कलेक्टर एवं
...खण्ड अधिकारी
...धपुर (दक्षिण)

बिन्दु 2 से 9 :– यह है कि ग्राम धिनाना की ढाणी जमाबंदी संवत् 2061–2064 के खाता सं. 206 अनुसार खसरा नं. 532/1 रकबा 0–17 बीघा गै.मु. रास्ता एवं खसरा नं. 545 रकबा 10–10 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता ग्राम पंचायत पाल के नाम दर्ज है। उक्त खसरे ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा न0 544, 531, 591 के चिपते हुए गुजर रहे है। उक्त कटाणी मार्ग पर ख.न. 544, 531, 591 खातेदारों का कब्जा है। एवं मौके पर रास्ता खसरा नं. 591, 531 व 545 की भूमि से गुजरता है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार है। इस प्रकार नजरी नक्शानुसार खसरा न. 544 के चिपता खसरा न० 532 किस्म गै.मू. रास्ता रकबा 0–17 बीघा में से रकबा 0–13 बीघा (13 बिस्वा) जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु A से B दर्शाया गया है व खसरा न० 545 किस्म गै.मू रास्ता रकबा 10–10 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा (12 बिस्वा) दो भागों में जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु CDEF एवं GHIJ से दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर खसरा न० 544, 591 व 531 के खातेदारों का कब्जा है जिसे खातेदारी में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है। खसरा न० 591 कुल रकबा 18–19 बीघा में से 1–06 बीघा जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु JKL से व खसरा न० 531 कुल रकबा 05–05 बीघा में से 0–10 बीघा (10 बिस्वा) जिसे बिन्दु MN से दर्शाया गया है मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रहा है जिसे गैर–मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है। खसरा न० 545 गै.मू. रास्ता की भूमि जिसे बिन्दु EFGJ से दर्शाया गया है, का रकबा 0–00–10 बीघा (10 बिस्वांसी) रास्ते के रूप में काम आने व रेकर्ड में रास्ता दर्ज होने से कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में गैर–मुमकिन रास्ते में परिवर्तन किये जाने से किसी व्यक्ति का आवागमन/रास्ता बाधित नही हो रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही अपनी बहस बताया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत पाल द्वारा पेश जबाब ,तहसीलदार कुडी भगतासनी जोधपुर की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट, राजस्व रेकर्ड, प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को निर्देशित खसरा न. 544 के चिपता खसरा न० 532/1 किस्म गै.मू. रास्ता रकबा 0–17 बीघा में से रकबा 0–13 बीघा (13 बिस्वा) जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु A से B दर्शाया गया है व खसरा न० 545 किस्म गै.मू रास्ता रकबा 10–10 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा (12 बिस्वा) दो भागों में जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु CDEF एवं GHIJ से दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर खसरा न० 544, 591 व 531 के खातेदारों का कब्जा है जिसे खातेदारी में दर्ज करे। खसरा न० 591 कुल रकबा 18–19 बीघा में से 1–06 बीघा जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु JKL से व खसरा न० 531 कुल रकबा 05–05 बीघा में से 0–10 बीघा (10 बिस्वा) जिसे बिन्दु MN से दर्शाया गया है मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रहा है जिसे गैर–मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें। तहसीलदार कुडी भगतासनी के द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट उक्त फैसले का भाग समझा जावें।

08/02/2024

मनोज कुमार मीणा, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(दक्षिण) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 08/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/02/2024

मनोज कुमार मीणा, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(दक्षिण) जोधपुर